



कृषि महाविद्यालय, जोधपुर

(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)

एन.एच.62, नीम्बा-नीम्बडीरेलवेक्रॉसिंग के पास, मण्डोर, जोधपुर-342304, राजस्थान



COLLEGE OF AGRICULTURE, JODHPUR

(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)

NI-62, Near Nimba-Nimbadi Railway Crossing, Mandor, Jodhpur-342304, Rajasthan

Telephone: 02912572565. Email: coajodhpur@gmail.com

क्रमांक:-F.3 (Acctts/AU/Jodh/2024-25/5822-24)

Date - 25.01.2025

खुली प्रतियोगी बोली सूचना संख्या 08/2024-2025

कृषि महाविद्यालय जोधपुर हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित उपापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक बोलीदाताओं/प्रतिष्ठित अनुमती एवं अधिकृत कम्पनियों/फर्मों खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नानुसार बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	उपापन की जाने वाली दिश्य वस्तु का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रु.)	बोली दस्तावेज शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	बोली प्रारम्भ व प्रस्तुति की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने एवं कॉलम सं. 4, 5 में अंकित दस्तावेज शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laser Printers	03.12 लाख	बोली प्रतिभूति 2 % = 6240 (RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार)	590	25.01.2025 04.00 PM से	05.02.2025 11.00 AM तक	05.02.2025 12.00 PM

आवश्यक शर्तें एवं निर्देश:-

1. Technical and Financial बोली तथा कॉलम संख्या 4,5 में वर्णित दस्तावेज व शुल्क भौतिक रूप से जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय कॉलम संख्या 07 के अनुसार रहेगी।
2. विभिन्न बोलियों के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में कार्यालय तथा उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। बोली www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर भौतिक रूप से प्रस्तुत की जानी है।
3. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा शुद्धिकरण की नवीनतम जानकारी हेतु बोली डाउनलोड करने वाले बोलीदाता नियमित रूप से उक्त वेबसाइट/पोर्टल का अवलोकन करते रहे।
4. कार्यादेश में वर्णित संस्थाओं में आपूर्ति कार्यादेश में वर्णित अवधि/दिवस में करनी होगी अन्यथा नियमानुसार एल.डी. चार्ज की कटौती की जायेगी।
5. निर्धारित तिथियों को राजकीय अवकाश होने पर बोली उसके अगले कार्यदिवस को उक्त निर्धारित समय पर खोली जायेगी।
6. राज्य में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।
7. किसी भी बोली को पूर्ण/आंशिक रूप स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. बोली में दर्शाये गये उपकरण की संख्या घटाई/बढ़ाई जाने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. बोली के साथ दिये जाने वाले समस्त दस्तावेजों पूर्ण रूप से भरे जायेगे।
10. Financial bid evaluation will be made on the most advantageous bid basis.


अधीक्षता/DEAN

कृषि महाविद्यालय, जोधपुर
College of Agriculture, Jodhpur

11. बोली के साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार पूर्ण भरे हुए एवं आवश्यकता अनुसार समस्त दस्तावेज सलंग्न करें अन्यथा बोली खोलने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
12. अगर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है तो कार्यादेश में वर्णित आपूर्ति अवधि में उपकरण की आपूर्ति करावें। अगर किन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत आप समयावधि में आपूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आपूर्ति अवधि समाप्त होने से पहले विभाग को लिखित में सूचित करेंगे अन्यथा संस्था द्वारा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति अवधि बढ़ाने के पश्चात् ही उपकरण की आपूर्ति करावें।
13. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
14. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) रहेगा।


25.1.25
अधिष्ठाता
आधिष्ठाता/DEAN
कृषि महाविद्यालय, जोधपुर
College of Agriculture, Jodhpur

प्रतिलिपि :-

1. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, जोधपुर।
3. रक्षित / निविदा पत्रावली